न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3/
विशेष न्यायाधीश, गिरोहबन्द अधि०, औरैया।

[J.O. Code-UP-6359]

उपस्थित- महेश चन्द्र वर्मा (एच०जे०एस०)

विशेष (गिरोहबन्द) सत्र परीक्षण सं०-324/2012

राज्य बनाम राजू उर्फ हमीर सिंह

मु०अ०सं०-61/2003
धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधि०
थाना-अयाना, जिला-औरैया ।

11.02.2021- पुकारा गया।

अभियुक्त राजू उर्फ हमीर सिंह अनुपस्थित।

प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Criminal Mis. Application U/s-482(A482)-[4136/2004] राजू उर्फ हमीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांकित 31.05.2004 के अनुसार प्रस्तुत मामले की अग्रिम कार्यवाही आवेदक/अभियुक्त हमीर सिंह के विरुद्ध मात्र अगली सूची बद्ध होने की तिथि तक स्थगित रहेगी। उसके पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनांक-04.06.2009 को भी उक्त मामले में उक्त स्थगन आदेश जारी रहने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

कम्प्यूटर अनुभाग से उक्त सम्बन्ध में केस स्टेटस रिपोर्ट-113ख के अनुसार उक्त प्रकरण में IA माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित है तथा दिनांक-28.11.2018 को तिथि नियत थी। अतः अभियुक्त राजू उर्फ हमीर सिंह नियत तिथि तक इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त कर दाखिल करे कि-

क्या उक्त Criminal Mis. Application U/s-482(A482)-[4136/2004] राजू उर्फ हमीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांकित 31.05.2004 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पत्रावली की कार्यवाही को उक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थगित रहने के बावत स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है अथवा नहीं?

दिनांक-12.11.2020 के अनुपालन में कार्यालय लिपिक द्वारा उक्त सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। अतः कार्यालय लिपिक को पुनः आदेशित किया जाता है कि वह उक्त सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से अविलम्ब पत्राचार करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक-12.04.2021 को पेश हो।

(महेश चन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3/
विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधि०,औरैया